उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

//विज्ञापन//

क्रमांक :– 120/परीक्षा/21 दिनांक :– 26/10/2021

मध्यप्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर चतुर्थ श्रेणी (वाहन–चालक, भृत्य/चौकीदार/जलवाहक, माली एवं स्वीपर) कलेक्टर रेट/आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी, की सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु विज्ञापन–2021

ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि :– 09/11/2021 (12.00 PM)
आवेदन करने की अंतिम तिथि :– 24/11/2021 (11.55 PM)
साक्षात्कार का दिनांक – बाद में अधिसूचित की जावेगी।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

नोटः–(क) इच्छुक अभ्यर्थी पदवर्ग (1) वाहन चालक (2) भृत्य/चौकीदार/जलवाहक (3) माली एवं (4) स्वीपर में से केवल एक पद के लिये केवल एक ही जिले में भर्ती हेतु एक ही ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। एक से अधिक आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे और निरस्त माने जावेंगे।

(ख) अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

(ग) अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रकिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट का समय–समय पर अवलोकन करते रहें।

निम्न रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक व योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं:–

खण्ड "अ"

(एक) **रिक्त पदों की संख्या**

चतुर्थ श्रेणी कलेक्ट्रेट रेट/आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी (1) वाहन चालक (2) (अ)भृत्य (ब)चौकीदार (स)जलवाहक (3) माली (4) स्वीपर, की सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु पदों का आरक्षण रोस्टर निम्नानुसार है:–

(1) पद प्रवर्ग–वाहन चालक

क्र0	न्यायिक जिले का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियाँ
		अनारक्षित	अ0पि0वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अनारक्षित	अ0पि0वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति		
1	अलीराजपुर	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
2	अनूपपुर	2	—	—	1	—	—	—	—	—	3
3	भोपाल	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1

4	बुरहानपुर	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
5	छतरपुर	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
6	छिन्दवाड़ा	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
7	दमोह	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3
8	दतिया	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
9	देवास	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10	धार	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2
11	डिण्डौरी	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
12	ग्वालियर	2	—	1	—	—	—	—	—	—	3
13	हरदा	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
14	होशंगाबाद	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2
15	इंदौर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16	जबलपुर	6	—	2	—	2	—	—	—	—	8
17	झाबुआ	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
18	खण्डवा	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2
19	कटनी	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2
20	मण्डला	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
21	मंदसौर	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
22	मुरैना	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3
23	नरसिंहपुर	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3
24	नीमच	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
25	रायसेन	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
26	राजगढ़	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
27	सागर	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
28	सतना	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
29	सीहोर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
30	सिवनी	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2
31	शाजापुर	1	1	—	1	—	—	—	—	—	3
32	श्योपुर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
33	शिवपुरी	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
34	सीधी	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
35	सिंगरौली — बैढन	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
36	उज्जैन	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3
	योग	36	8	8	17	2	—	—	—	—	69

(2) पद प्रवर्ग–भृत्य / चौकीदार / जलवाहक

क्र0	न्यायिक जिले का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियॉं
		अनारक्षित	अ0पि0वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अनारक्षित	अ0पि0वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति		
1	अनूपपुर	2	1	—	2	—	—	—	—	—	5
2	अशोकनगर	4	1	—	1	1	—	—	—	—	6
3	बालाघाट	3	1	—	—	1	—	—	—	—	4
4	बड़वानी	1	1	—	6	—	—	—	2	—	8
5	बैतूल	4	—	—	5	1	—	—	1	—	9
6	भिण्ड	3	—	—	—	1	—	—	—	—	3
7	भोपाल	15	7	7	9	4	2	2	2	3	38
8	बुरहानपुर	—	3	—	5	—	1	—	1	—	8
9	छतरपुर	6	1	4	1	2	—	1	—	1	12
10	छिन्दवाड़ा	4	2	—	6	1	—	—	2	1	12
11	दमोह	3	1	—	1	1	—	—	—	—	5
12	दतिया	3	1	1	—	1	—	—	—	1	5
13	देवास	6	2	1	3	2	—	—	1	1	12
14	धार	6	1	—	21	2	—	—	6	2	28
15	डिण्डौरी	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2
16	गुना	5	1	1	—	1	—	—	—	1	7
17	ग्वालियर	6	1	1	—	2	—	—	—	1	8
18	हरदा	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3
19	होशंगाबाद	9	2	—	—	2	—	—	—	1	11
20	इंदौर	10	4	—	1	3	1	—	—	1	15
21	जबलपुर	6	2	2	2	2	—	—	—	2	12
22	झाबुआ	—	—	—	4	—	—	—	1	—	4
23	खण्डवा	—	1	2	4	—	—	—	1	1	7
24	कटनी	6	—	4	2	2	—	1	—	1	12
25	मण्डला	2	2	—	6	—	—	—	2	1	10
26	मंदसौर	6	1	3	1	2	—	1	—	1	11
27	मुरैना	7	2	3	—	2	—	1	—	1	12
28	मण्डलेश्वर	3	—	—	3	1	—	—	1	—	6
29	नरसिंहपुर	4	2	1	2	1	—	—	—	1	9
30	नीमच	7	2	1	2	2	—	—	—	1	12
31	पन्ना	6	2	—	2	2	—	—	—	1	10
32	रायसेन	3	—	1	2	1	—	—	—	—	6
33	राजगढ़	3	1	1	—	1	—	—	—	—	5
34	रतलाम	9	4	2	7	2	1	—	2	2	22
35	रीवा	4	—	—	—	1	—	—	—	1	4
36	सागर	11	5	5	3	3	1	1	1	1	24

37	सतना	8	2	—	—	2	—	—	—	1	10
38	सीहोर	6	2	2	3	2	—	—	1	1	13
39	सिवनी	3	2	1	4	1	—	—	1	1	10
40	शहडोल	2	1	—	2	—	—	—	—	—	5
41	शाजापुर	6	2	3	—	2	—	1	—	1	11
42	श्योपुर	3	2	1	2	1	—	—	—	—	8
43	शिवपुरी	7	2	3	1	2	—	1	—	1	13
44	सीधी	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
45	सिंगरौली–बैढन	3	1	—	3	1	—	—	1	—	7
46	उमरिया	1	1	—	1	—	—	—	—	—	3
47	उज्जैन	12	3	6	1	3	1	2	—	1	22
48	विदिशा	3	—	2	—	1	—	—	—	—	5
	योग	223	72	60	120	62	7	11	26	33	475

* उपरोक्त पदों में दिव्यांग अभ्यर्थियों का आरक्षण निम्नानुसार है:–

(क) श्रवणबाधित अभ्यर्थियों हेतु – भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर एवं जबलपुर स्थापनाओं पर एक–एक पद अर्थात् कुल ग्यारह पद

(ख) दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु – भोपाल, धार, जबलपुर, खण्डवा, कटनी, मण्डला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच एवं रतलाम स्थापनाओं पर एक–एक पद अर्थात् कुल ग्यारह पद

(ग) अस्थिबाधित अभ्यर्थियों हेतु – भोपाल, पन्ना, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शाजापुर, शिवपुरी एवं उज्जैन स्थापनाओं पर एक–एक पद अर्थात् कुल ग्यारह पद

(3) पद प्रवर्ग–माली

क्र0	न्यायिक जिले का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियाँ
		अनारक्षित	अ0पि0वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अनारक्षित	अ0पि0वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति		
1	अशोकनगर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2	बड़वानी	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
3	बैतूल	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
4	भिण्ड	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
5	भोपाल	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
6	बुरहानपुर	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
7	छतरपुर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8	छिन्दवाड़ा	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
9	दमोह	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10	देवास	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1

11	धार	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
12	गुना	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
13	ग्वालियर	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
14	हरदा	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
15	होशंगाबाद	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
16	जबलपुर	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
17	झाबुआ	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
18	खण्डवा	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
19	कटनी	–	1	–	2	–	–	–	–	–	3
20	मण्डला	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
21	मंदसौर	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
22	मुरैना	2	1	–	–	–	–	–	–	1	3
23	मण्डलेश्वर	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
24	नरसिंहपुर	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
25	नीमच	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
26	रायसेन	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
27	राजगढ़	3	–	–	1	–	–	–	–	1	4
28	रीवा	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2
29	सागर	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
30	सतना	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
31	सीहोर	1	1	1	1	–	–	–	–	1	4
32	सिवनी	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
33	शाजापुर	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2
34	श्योपुर	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
35	शिवपुरी	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
36	सीधी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
37	सिंगरौली – बैढन	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
	योग	19	15	1	16	–	–	–	–	3	51

* उपरोक्त पदों में दिव्यांग अभ्यर्थियों का आरक्षण निम्नानुसार है:–

(1) श्रवणबाधित अभ्यर्थियों हेतु –मुरैना स्थापना पर एक पद

(2) दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु –राजगढ़ स्थापना पर एक पद

(3) अस्थिबाधित अभ्यर्थियों हेतु –सीहोर स्थापना पर एक पद

(4) पद प्रवर्ग—स्वीपर

क्र0	न्यायिक जिले का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियाँ
		अनारक्षित	अ0पि0वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अनारक्षित	अ0पि0वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति		
1	अलीराजपुर	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
2	अनूपपुर	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
3	अशोकनगर	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
4	बालाघाट	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
5	बड़वानी	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
6	बैतूल	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
7	भिण्ड	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
8	भोपाल	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9	बुरहानपुर	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
10	छतरपुर	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3
11	छिन्दवाड़ा	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
12	दमोह	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
13	दतिया	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
14	देवास	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
15	धार	—	3	4	—	—	1	1	—	1	7
16	ग्वालियर	—	—	3	—	—	—	1	—	—	3
17	हरदा	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
18	होशंगाबाद	—	—	3	2	—	—	1	—	—	5
19	इंदौर	—	—	5	—	—	—	1	—	1	5
20	जबलपुर	3	—	—	—	1	—	—	—	—	3
21	झाबुआ	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
22	कटनी	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3
23	मण्डला	1	1	—	2	—	—	—	—	—	4
24	मंदसौर	3	1	1	—	1	—	—	—	1	5
25	मुरैना	2	1	1	—	—	—	—	—	—	4
26	मण्डलेश्वर	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
27	नरसिंहपुर	2	1	—	—	—	—	—	—	1	3
28	नीमच	2	—	1	—	—	—	—	—	—	3
29	पन्ना	—	—	3	—	—	—	1	—	—	3

30	रायसेन	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2
31	रतलाम	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
32	रीवा	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
33	सागर	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
34	सतना	–	1	3	3	–	–	1	1	1	7
35	सीहोर	1	1	1	1	–	–	–	–	–	4
36	सिवनी	1	–	1	1	–	–	–	–	–	3
37	शहडोल	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2
38	शाजापुर	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2
39	श्योपुर	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
40	शिवपुरी	2	–	2	1	–	–	–	–	1	5
41	सीधी	1	–	1	1	–	–	–	–	–	3
42	सिंगरौली–बैढन	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2
43	उमरिया	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2
44	विदिशा	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
	योग	23	13	50	27	2	1	6	1	6	113

*   उपरोक्त पदों में दिव्यांग अभ्यर्थियों का आरक्षण निम्नानुसार हैः–

(1) श्रवणबाधित अभ्यर्थियों हेतु –धार एवं इंदौर स्थापनाओं पर एक–एक पद अर्थात कुल 2 पद

(2) दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु –मंदसौर एवं नरसिंहपुर स्थापनाओं पर एक–एक पद अर्थात कुल 2 पद

(3) अस्थिबाधित अभ्यर्थियों हेतु –सतना एवं शिवपुरी स्थापनाओं पर एक–एक पद अर्थात कुल 2 पद

<u>नोट–उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है।</u>

<u>(दो)–पदनाम, वेतनमान तथा अर्हतायें</u> :– *(M.P. District Court Establishment recruitment and conditions of service) Rules, 2016 as published in MP Gazzette on 28.06.2019, Schedule-I* के सरल क्र0–8 एवं 9 के अनुसार

पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
(1)आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी/कलेक्टर रेट **वाहन चालक प्रवर्ग**	**कलेक्टर रेट**	1. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त प्राप्त बोर्ड/संस्था से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण 2. लाइट मोटर व्हीकल चलाने का वैद्य ड्राईविंग लायसेंस। (*)
(2)आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी/कलेक्टर रेट **भृत्य/चौकीदार/ जलवाहक, माली एवं स्वीपर प्रवर्ग**	**कलेक्टर रेट**	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण

(*)   अभ्यर्थी को सभी प्रकार के L.M.V. चलाना आना चाहिये।

(तीन)–संबंधित पद हेतु टीप :–

1. अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र में उनकी अंकसूची/शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के अनुसार ही जानकारियाँ दर्ज करना अनिवार्य है, कोई विसंगति स्वीकार्य नहीं होगी।
2. उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम अर्हतायें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ–साथ परीक्षा अंक पत्र/प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

(चार)–आरक्षण संबंधी टीपः–

म.प्र. राज्य के बाहर के सभी आवेदक, आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी 'अनारक्षित' भरेंगे और अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों पर ही आवेदन प्रस्तुत करेंगे। केवल म.प्र. के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।

(पांच)–चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक अर्हता एवं जानकारी :–

(1) अभ्यर्थी केवल एक पदवर्ग हेतु केवल एक ही जिले में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करता है तो संज्ञान में आने पर उसकी सभी जिलों/पदों हेतु अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और उसके किसी भी आवेदन/आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(2) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता विचार में नहीं ली जावेगी।

(3) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा/होगी जो निम्न में से कोई हो–

(क) उम्मीदवार जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो।

(ख) उम्मीदवार जिसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नियां (जैसी भी स्थिति हो) है। इसी प्रकार उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) जीवित हो।

(ग) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।

(घ) जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

(ड) जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, (परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।)

(4) केन्द्र या राज्य के शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का "अनापत्ति प्रमाण पत्र" संलग्न/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इसके अभाव में उनकी अभ्यर्थिता किसी भी प्रक्रम पर समाप्त कर दी जावेगी। यदि अपने नियोजित होने के संबंध में जानकारी छिपायी जाती है तो उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जावेगी तथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

(5) केन्द्र या राज्य सरकार के या केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकारी या भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी या सरकारी निगम द्वारा या केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले नियंत्रित व्यक्ति द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा।

(6) अभ्यर्थी किसी भी पद हेतु किसी भी स्थापना में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा यदि उसके विरूद्ध किसी कार्यालय में विभागीय जाँच लंबित हो।

(7) अभ्यर्थी को केन्द्रीय या संघ या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग या उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में भाग लेने से अनर्हरित किया गया हो।

(8) यदि आवेदक के द्वारा किसी क्रियाकलाप या कार्यक्रम में भाग लिया गया है या संबद्धता रही है–

एक–जिसका ध्येय भारत के संविधान को क्षति पहुंचाने का रहा हो,

दो– जिसका ध्येय संगठित होकर विधि की अवज्ञा या भंग कर हिंसा कारित करना हो,

तीन–जो भारत की संप्रभुता व अखण्डता या राज्य की सुरक्षा के हितों पर पूर्वाग्रह कारित करता हो,

चार–जो धर्म, वंश, भाषा, जाति या संप्रदाय के आधार पर विभिन्न वर्गों के मध्य शत्रुता या घृणा की भावना को प्रोत्साहित करता हो।

(9) मध्यप्रदेश सिविल सेवा के (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के प्रावधानों एवं समय–समय पर जारी संशोधनों के अंतर्गत अनर्हता के नियम लागू होंगे।

(10) सभी परीक्षाओं में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है। अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय 02 फोटो, जो उसने ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपलोड किया है, ऑनलाईन आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति व मूल फोटो परिचय–पत्र भी लाना आवश्यक है। अंतिम शैक्षणिक संस्था प्रमुख द्वारा जारी फोटो परिचय–पत्र भी मान्य किया जा सकेगा।

(11) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, म0प्र0 उच्च न्यायालय को होगा।

(12) यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत (Submit) करता है या उसका आवेदन त्रुटिपूर्ण पाया जाता है अथवा उसमें असत्य/अपूर्ण जानकारी दी है अथवा कोई जानकारी नहीं दी है अथवा किसी जानकारी को छिपाया है, तो संज्ञान में आते ही किसी भी स्तर/प्रक्रम पर उसका प्रवेश, चयन और उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी तथा इस सम्बंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

(13) इच्छुक अभ्यर्थी अपना ऑनलाईन फार्म बहुत सावधानी से भरें, आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कोई प्रावधान नहीं है, इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

(14) यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो, तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक व दिनांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में पंजीबद्ध अपराध या दाण्डिक प्रकरण की

जानकारी छिपाता है, तो किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

(छ:)–अनर्हताएँ –

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :–

(1) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या

(2) प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो, या

(3) कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या

(4) चयन के किसी भी स्तर पर दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में, असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या

(5) साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(6) साक्षात्कार में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(7) साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(8) आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों, जिनमें साक्षात्कार संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(9) साक्षात्कार भवन में चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना, या

(10) यदि वह अनुचित साधनों का उपयोग करता है या उपयोग करने का प्रयास करता है या परिसर के भीतर या साक्षात्कार कक्ष/हॉल में कोई निषिद्ध वस्तु लाता है, या किसी फर्नीचर को कोई नुकसान पहुंचाता है, या

(11) साक्षात्कार में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना। मोबाइल फोन, कैमरा लगा कोई उपकरण या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और संचार उपकरण प्रतिबंधित हैं और परिसर के मुख्य द्वार के अंदर अनुमति नहीं है जहां साक्षात्कार आयोजित किया जावेगा। इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन अभ्यर्थिता को रद्द कर देगा और अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से निष्कासित करने की कार्रवाई करेगा, जिसमें भविष्य की भर्तीयों से प्रतिबंध शामिल हो सकता है, अथवा

(12) ऑनलाईन फार्म में कोई भी प्रविष्टी अंकसूची/मार्कशीट/प्रमाण–पत्र से भिन्न करना, या

(13) म.प्र. राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी में आवेदन करना, या

(14) अन्य कोई ऐसा आचरण किया हो जो आदर्श परीक्षार्थी के लिये वर्जित है।

खण्ड "ब"

(क)– आयु की गणना–

दिनांक 01.01.2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है, आयु सीमा की गणना निम्नानुसार होगी :–

1	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2	पुरूष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन)	45 वर्ष
4	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग–शासकीय/ निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन)	45 वर्ष

म0प्र0 राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है।

(ख)– आवेदन–शुल्क :–

श्रेणी	**परीक्षा शुल्क** (अ)	**सेवा प्रदाता को देय पोर्टल व अन्य शुल्क** (ब)	**योग** (अ)+(ब)
अनारक्षित एवं/अथवा मध्यप्रदेश राज्य से बाहर के सभी आवेदकों हेतु	**रू. 100/–**	**रू. 116.70/–**	**रू. 216.70/–** (दो सो सोलह रूपये सत्तर पैसे)
आरक्षित वर्ग (केवल म.प्र. के मूल निवासी आवेदकों हेतु)	**रू. 0/–**	**रू. 116.70/–**	**रू. 116.70/–** (एक सो सोलह रूपये सत्तर पैसे)

नोट :– (1) उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क वापस किए जाने अथवा समायोजन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में आपत्ति(यों) पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

(2) अभ्यर्थी का आवेदन पूर्ण तभी माना जायेगा जब निर्धारित शुल्क का ट्रांजेक्सन नियत समय के भीतर सेवा प्रदाता के पक्ष पर सफलतापूर्वक हो चुका हो ।

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी कि साक्षात्कार हेतु आवेदन और शुल्क निर्धारित तिथि व समय के पूर्व जमा हो चुका है। बैंकिंग, ऑनलाइन ट्राँजेक्शन व अन्य किसी कारणवश यदि अभ्यर्थी का आवेदन व शुल्क यदि निर्धारित अवधि के पूर्व जमा नहीं हो पाते हैं, तो इससे संबंधित अभ्यावेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

(ग)–ऑनलाईन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी :–

1. आवेदक स्वयं अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं।

आवेदन पत्र म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है, अभ्यर्थी को उक्त वेबसाईट में जाकर "Recruitment/Result" की बटन में क्लिक करना होगा, तत्पश्चात् **"Click on-Online Application Forms/Admit Cards"** पर Click करें जिसमें उक्त पदों की भर्ती का ऑनलाईन आवेदन उपलब्ध होगा, जिसे क्लिक करने पर 03 निम्न लिंक उपलब्ध होंगी :–

1. Advertisement
2. Registrartion
3. Application

Advertisement लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें, तत्पश्चात् Registration लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को दर्ज करें, जिससे अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर एवं ई0–मेल आई0डी0 में User-ID & Password भेजा जायेगा, जिसके द्वारा अभ्यर्थी Application लिंक में क्लिक कर अपना आवेदन फार्म पूरा भरकर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। पूरे फार्म को भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म को Preview कर Submit बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई जानकारी व विवरण सही व सत्य है, बाद में त्रुटि–सुधार के लिये पृथक से कोई अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होगा।

2. उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी दिये गये ऑनलाईन पेमेंट मोड के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के पश्चात् अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट/पावती, प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें। **आवेदन पत्र का प्रिंट/रसीद को भर्ती की अन्य प्रक्रियाओं के लिये हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।**

नोट :– कृपया विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है, तो दूरभाष नम्बर **(022–61306271)** पर तत्काल सम्पर्क करें।

नोटः–यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह/योग्यताधारी मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह/अयोग्य पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

खण्ड–''स''

(क)–भर्ती की योजना :–

उक्त पदों की भर्ती केवल साक्षात्कार के माध्यम से संपन्न होगी, साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा, साक्षात्कार 30 अंकों का होगा। साक्षात्कार दिवस में अभ्यर्थियों को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लेकर आना अनिवार्य होगा :–

1. अर्हकारी व समस्त प्रमाण पत्रों (जिसका उल्लेख अपने ऑनलाईन आवेदन में किया है) की मूल Original प्रतियाँ एवं एक सेट स्व प्रमाणित छायाप्रतियां Photocopy
2. मूल Original पहचान पत्र व स्वप्रमाणित प्रति
3. ऑनलाईन फार्म की पावती, प्रवेश पत्र व उनकी स्वप्रमाणित प्रति
4. स्वयं के 02 पासपोर्ट साईज फोटो (जिसे ऑनलाईन फार्म भरते समय अपलोड किया था)

(*) आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी, जो अनुविभागीय अधिकारी से निचले स्तर का न हो द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूलतः होना आवश्यक होगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

साक्षात्कार केन्द्र में उपरोक्त दस्तावेजों को लेकर आना अति आवश्यक हैं, यदि कोई अभ्यर्थी मूल दस्तावेज लेकर नहीं आता है/दस्तावेजों की छायाप्रति लेकर नहीं आता है तो इसके लिये अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष नहीं भेजा जावेगा एवं अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें, साक्षात्कार पश्चात् अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पुनः जांच की जावेगी, परिणामस्वरूप यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेजों के आधार पर पात्र नहीं पाया जावेगा तो अपात्र घोषित कर दिया जावेगा, उक्त संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा, भले ही अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित क्यों न हो रहा हो। यदि अभ्यर्थी किसी त्रुटि के चलते साक्षात्कार देने में सफल हो जाता है, तब भी उसकी अभ्यर्थिता चयन पूर्व व पश्चात् निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख)–प्रवेश पत्र :–

प्रवेश पत्र साक्षात्कार के पूर्व म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर जारी किये जावेंगें, जिसका प्रिंट अभ्यर्थी को स्वयं निकालना होगा जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व पासवर्ड दर्ज करना होगी। प्रवेश पत्र में वर्णित निर्देशों का पालन करना अभ्यर्थी के लिये अनिवार्य होगा अन्यथा उसे आगामी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से निरर्हित कर दिया जायेगा।

(ग)–साक्षात्कार केन्द्रः–

अभ्यर्थी का साक्षात्कार केन्द्र वही जिला होगा जहां के लिये उसने आवेदन किया है। अभ्यर्थियों का साक्षात्कार एक तिथि अथवा एक से अधिक तिथियों का निर्धारण अभ्यर्थियों की संख्या और साक्षात्कार केन्द्र की क्षमता को देखते हुए किया जावेगा। अभ्यर्थी को अपने प्रवेश

पत्र में अंकित तिथि को ही साक्षात्कार केन्द्र/जिले में उपस्थित होना होगा, उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

यदि किसी आपात स्थिति अथवा अपरिहार्य कारणों से साक्षात्कार तिथि को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो इसकी सूचना म0प्र0 उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं संबंधित जिले के सूचना पटल पर प्रकाशित की जावेगी।

(सात) – <u>आवश्यक सूचना :–</u>

(1) आवेदक को अपने साक्षात्कार केन्द्र पर निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना आवश्यक है।

(2) आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार केन्द्र पर उपस्थित न होने/ देर से उपस्थित होने पर आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा अन्य तिथि अथवा अन्य बोर्ड में साक्षात्कार देने की अनुमति नही दी जावेगी।

<u>(आठ)</u>: <u>–अंतिम चयन सूची/परिणाम :–</u>

जिलेवार साक्षात्कार समाप्त होने के पश्चात् श्रेणीवार मेरिट के आधार पर अंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी जिसे उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर एवं संबंधित जिला न्यायालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जावेगा। समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।

अंतिम परिणाम पर पुनर्विचार एवं परिर्वतन करने हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

नोट– चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अर्हता उसके दस्तावेजों व पृष्ठभूमि के सत्यापन उपरांत नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की संतुष्टि के अध्याधीन होगी।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि या अन्य कोई सारवान् चूक प्रकट होती है तो चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

<u>(नौ)</u>: <u>प्राप्तांक/स्कोर कार्डः</u>

अंतिम परिणाम/सूची प्रकाशित होने के बाद साक्षात्कार में सम्मिलित हुए समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित किये जावेंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना आवेदन क्रमांक व पासवर्ड दर्ज करना होगा।

<u>(दस)</u>: <u>सूचना के अधिकार के तहत जानकारीः</u>

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी संबंधित जिला एवं सत्र न्यायालय के सूचना अधिकारी से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त की जा सकेगी।

(ग्यारह): विनष्टीकरण:–

आवेदन–पत्रो (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन व दस्तावेजों को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जायेगा।

(बारह): यात्रा व्यय का भुगतान–

साक्षात्कार हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क न लेते हुए केवल सेवा प्रदाता का शुल्क लिया जा रहा है, इस कारण साक्षात्कार मे उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(तेरह): शुद्धिपत्र:–

आवश्यकता होने पर शुद्धिपत्र प्रकाशित किया जायेगा, जो कि इस विज्ञापन का भाग माना जायेगा। उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित ''शुद्धिपत्र'' को अभ्यर्थियों के लिये उचित एवं पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जावेगा। ''शुद्धिपत्र'' की जानकारी प्राप्त नहीं होने के आधार पर प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जावेगा।

(चौदह): कोविड–19 महामारी से संबंधित निर्देश :–

साक्षात्कार इत्यादि के पूर्व अथवा साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को तत्समय प्रभावशील सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा, इसके अलावा प्रवेश पत्र पर वर्णित अथवा नोटिस के माध्यम से परीक्षा सेल द्वारा कोविड–19 महामारी से संबंधित विशेष निर्देश जारी किये जा सकते हैं, जिनका पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

(पंद्रह): अभ्यावेदन/पत्राचार :–

ई0मेल के माध्यम से कोई भी अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होगा और स्वतः निरस्त माना जाएगा। विज्ञापन की शर्तों में परिवर्तन, अर्हता, आयु–सीमा एवं साक्षात्कार तिथियों आदि में परिवर्तन या छूट के संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

रजिस्ट्रार जनरल

****